



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233861  
CG-DL-E-03032022-233861

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]  
No. 167]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

सं. 14/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 170(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के समक्ष, गुजरात राज्य के संबंध में, कॉलम (3) में मद (ix) को और कॉलम (4) की उससे सम्बंधित प्रविष्टि को निर्मित किया जाएगा।

[फा. सं. 394/39/2021-सीमाशुल्क (एएस)]

शरद श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 04 अगस्त, 2020, सा.का.नि. 487 (अ), दिनांक 04 अगस्त, 2020 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2022

**No. 14 /2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 170(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (NT) dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193 (E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 4, relating to the State of Gujarat, in column (3) the item (ix), and the corresponding entry thereto in column (4) shall be omitted.

[F. No. 394/39/2021-Cus(AS)]

SHARAD CHANDRA SRIVASTAVA, Director

**Note :** The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997 and last amended by notification number 67/2020-Customs (N.T.) dated the 04<sup>th</sup> August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 487 (E), dated the 04<sup>th</sup> August, 2020.